छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | त्रयोदश सत्र | अंक-04

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 2022

(फाल्गुन 19, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 40 तारांकित एवं 66 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 06 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2018-19 तथा छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2019-20,

(2) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (चार) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21,

(3) श्रीमती अनिला भेंड़िया, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21,

(4) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन,

(5) श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन मंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5-9/आठ-परि/ 2021, दिनांक 27 दिसम्बर, 2021

(6) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 तक),

(7) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की

अपेक्षानुसार पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021) तथा

(8) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार :-

(i) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का संतावनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (दिनांक 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021),

(ii) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21,

(iii) संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 (1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021),

(iv) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (दिनांक 25 नवंबर, 2020 से 30 जून, 2021)

(v) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का षष्ठम् वार्षिक प्रतिवेदन (1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021) तथा

(vi) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2020-21,

पटल पर रखे ।

4.पृच्छा

श्रीमती छन्नी चन्दू साहू, सदस्य एवं प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, ने उनके साथ घटित घटना का उल्लेख किया ।

सर्वश्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, बृजमोहन अग्रवाल, धर्मजीत सिंह,

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

डॉ. रमन सिंह, श्री संतराम नेताम, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्रीमती इन्दू बंजारे ने भी विचार व्यक्त किये ।

5.व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि माननीय सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होकर इस सदन में आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं । चूंकि वे जनप्रतितिधि हैं, इसलिए उनका यह दायित्व भी है कि वे जनता के हितों को यहां पर रखें, उठायें । वे जनता के पक्ष को रखते हैं इस कारण यदि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की जाती है तो इसे मैं उचित नहीं समझता । लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वे निर्भय होकर जनता का प्रतिनिधित्व कर सकें । महिला सदस्य श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी ने और प्रमोद कुमार शर्मा जी ने उनके विरूद्ध दर्ज प्रकरणों के संबंध में उल्लेख किया है । माननीय गृह मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि आप इन सदस्यों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की पुन: जांच करा लें और जैसा माननीय कह रहे हैं कि उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाने से पहले जांच हुई कि नहीं, इसकी भी जांच कर लें । इसके बारे में मुझे कल सदन के उठने से पहले अवगत करायें । इसके बाद जो कार्यवाही करनी होगी, मैं करूंगा, मगर सबसे पहले आज शाम तक इनकी जो सुरक्षा है, वह दोगुनी सुरक्षा वापस की जाये । अगर उनको 02 पी.एस.ओ. मिले हैं तो 04 पी.एस.ओ. दिये जायें और यदि इन्हें भी सुरक्षा की जरूरत है तो इन्हें भी सुरक्षा दी जाये ।

6. स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में 15 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई ।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

स्थगन प्रस्ताव की ग्राहयता पर चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, धर्मजीत सिंह, नारायण चंदेल, सौरभ सिंह, धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ।

माननीय अध्यक्ष ने शासन का वक्तव्य एवं माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

(1) सर्वश्री सौरभ सिंह, नारायण चंदेल, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य ने कोरबा जिले के सड़क निर्माण में भू-अर्जन से प्रभावित कृषकों पर अपराध पंजीबद्ध किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ.रमन सिंह, सदस्य ने जिला-राजनांदगांव, ग्राम पंचायत केरेगांव, थाना डोंगरगांव निवासी द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

(3) श्री संतराम नेताम सदस्य (अनुपस्थित) सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

(4) श्री सत्यनाराण शर्मा, सदस्य ने बलरामपुर एवं रामानुजगंज के भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा तालाब निर्माण दर्शाकर फर्जी तरीके से शासकीय राशि का आहरण किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्री नारायण चंदेल

(3) श्री शैलेष पाण्डेय

(4) श्री सौरभ सिंह

(5) श्री अरूण वोरा

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 10, अंबिकापुर से निर्वाचित सदस्य श्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा मार्च, 2022 सत्र में दिनांक 8 मार्च, 2022 से 16 मार्च, 2022 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है ।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई ।)

10. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय विधेयक एवं अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय विधेयक क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
(क्रमांक -01, सन् 2021)	श्री सत्यनारायण शर्मा	05 मिनट

अशासकीय संकल्प क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 02)	श्री धरमलाल कौशिक	45 मिनट
2. (क्रमांक - 05)	श्री अजय चन्द्राकर	45 मिनट
3. (क्रमांक - 01)	श्री शिवरतन शर्मा	25 मिनट
4. (क्रमांक - 09,10)	श्री गुलाब कमरो/श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति ने घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्री मोहन मरकाम

(3) श्री सौरभ सिंह

12. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये 9-9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- "सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उप नियम (1) एवं 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2022-2023 की अवधि के लिये अपने में से क्रमशः 9-9 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये 9 सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- ""सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-234- ख

के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वर्ष 2022-2023 की अवधि के लिये अपने में से 9 सदस्य, जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय ने सूचित किया कि 10 मार्च, 2022 को लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन के प्रस्ताव को सभा द्वारा स्वीकृति दी गई ।

समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2022 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं ।

(2) नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2022 को अपराह्न 1.30 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक- दो में होगी ।

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2022 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2022 को प्रात: 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

14. वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री मोहन मरकाम, धर्मजीत सिंह,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सभा के समय में 7.00 बजे तक वृद्धि की घोषणा की ।)

सर्वश्री शैलेष पाण्डेय, सौरभ सिंह, अरूण वोरा, केशव प्रसाद चन्द्रा, डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, श्रीमती इन्दु बंजारे ।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से माननीय सदस्या का भाषण पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

रात्रि 07.04 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022 (फाल्गुन 20, शक संवत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा